तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
2|2021	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। वकील वादी बहस हेतु समय चाहते हैं। समय दिया जाकर वकील वादी आगामी तारीख पेशी को आवश्यक रूप से बहस करें। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 26|2|2021 को पेश हो। सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बाड़ी	
2|2021	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी अनुपस्थित। वकील प्रतिवादी उपस्थित। पत्रावली वास्ते इंतजार बहस दिनांक 12|3|2021 को पेश हो। सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बाड़ी	
3|2021	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित नहीं। वकील प्रतिवादी उपस्थित। पत्रावली वास्ते इंतजार बहस वादी दिनांक 26|3|2021 को पेश है। सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बाड़ी	
3|2021	पत्रावली पेश हुई। वकीलगण उपस्थित। वकील वादी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 CPC का प्रस्तुत कर साक्ष्य वादी की बंद की गई जिरह को पुनः खोलने हेतु निवेदन किया। प्रार्थना पत्र की एक प्रति प्रतिवादी गण अधिवक्ता को दी गई। प्रतिवादी गण अधिवक्ता ने उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब न देकर सीधे बहस हेतु निवेदन किया जो स्वीकार किया गया। प्रतिवादी अधिवक्ता ने निवेदन किया [illegible] में वादी अधिवक्ता अनावश्यक रूप से न्यायालय का समय जाया करने के लिहाज से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। वादी अधिवक्ता को सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बाड़ी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2021.12.16 12:50:44 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	दो वर्ष से अधिक समय तक अपनी साक्ष्य एवं जिरह हेतु समय दीया जा चुका है। साक्ष्य वादी बंद हुए दो वर्ष हो चुके है एवं साक्ष्य प्रतिवादी भी बंद हो चुकी है। पत्रावली मे वाद बिन्दु अनुसार कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। पत्रावली बहस अंतिम मे है। यदि बिना किसी ठोस सबुत व वजह के जिरह पुन: खोली जाती है तो मात्र न्यायलय का समय ही बर्बाद होगा। वादीगण की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र मे जिरह बंद होने या शुरु करने के संबंध मे कोई जायज कारण नही बताया है इसलिए वादी का उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 CPC खारीज करमाया जावे। बहस वकुलाय सुनी गई। वादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 CPC मे जिरह पुन: खोलने के संबंध मे कोई जायज कारण नहीं होने से प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली वास्ते अंतिम बहस दिनांक 30/3/2021 को पेश हो। सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बाड़ी
30/3/2021	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित पत्रावली में उभय पक्षगान की बहस सुनी गई। निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर मे कम होकर दाखिल दफ्तर हो। फैसला पुन: खुले न्यायलय में सुनाया गया। सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बाड़ी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2021.12.16 12:50:44 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

बावड़ी, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः– श्रीमती सुमित्रा पारीक (आर. ए. एस.)

राजस्व वाद संख्या 161/2012 सन् 2012

वादीगण :–

1. पांचाराम पुत्र श्रीराम
2. बगताराम पुत्र श्री हुकमाराम
3. शैतानराम पुत्र श्री बीरमाराम

सभी जातियान् गुर्जर निवासी डांवरा मानसागर तहसील औसिया जिला जोधपुर।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. रेंवती पत्नी श्री मीसाराम जाति देवासी निवासी डांवरा मानसागर तहसील ओसियां जिला जोधपुर, हाल निवास ढिगसरा तहसील खिंवसर जिला नागौर।
2. राजुराम पुत्र श्री केहराराम जाति विश्नोई निवासी केलावा खुर्द तहसील ओसिया जिला जोधपुर।
3. मोहनराम पुत्र श्री हरसुखराम जाति विश्नोई वास विश्नोईयों की ढाणी ग्राम डांवरा, तहसील ओसिया जिला जोधपुर।
4. श्रीमान् तहसीलदार साहब औसिया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2021.12.16 12:50:44 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी

दावा अन्तर्गत धारा 88 (इठयासी), 188 (एक सौ इठयासी), 92 (बरान्नवे) (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

अधिवक्ता :–

1. *श्री नारसिंह सोलंकी एडवोकेट वादीगण की ओर से।*
2. *श्री घेवरराम बिश्नाई एडवोकेट प्रतिवादीगण की ओर से।*

–:निर्णयः–

दिनांक 30/03/2021

वादीगण :– पांचाराम व अन्य की ओर से एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 (इठयासी), 188 (एक सौ इठयासी), 92 (बरान्नवे) (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश किया। वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र श्रीमान् सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी औसिया में प्रस्तुत किया गया था, वाद विचारण के दौरान उक्त राजस्व ग्राम का क्षेत्राधिकार नवसर्जीत न्यायालय श्री सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड न्यायालय बावड़ी में स्थापित होने से माफिक श्रीमान् जिला कलेक्टर जोधपुर के आदेश अनुसार नवसर्जीत न्यायालय में प्राप्त हुई पत्रावंली नियमों अनुसार दर्ज कर न्यायालय के नियमित विचारण में लेकर कोर्ट कार्यवाही शुरू कर गई। जिसके वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैः– तहसील औसिया के ग्राम मानसागर के खसरा नम्बर 1071 रकबा 10 बीघा 04 [illegible] खसरा नम्बर 1071/1 रकबा 10 बिस्वा गैर मुमकिन [illegible] पन्नाराम जाति राईका निवासी मानसागर डांवरा के नाम से खोतदारी की आई हुई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2021.12.16 12:50:44 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी

उक्त वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेन्ट दला वल्द पन्ना कौम राईका के नाम से सेटलमेन्ट अधिकारियों की भूल व लापरवाही से दर्ज कर किया गया था लेकिन वास्तव में उक्त भूमि पर कब्जा व काश्त वक्त सेटलमेन्ट से लेकर आज तक दिन तक हिम्मता वगेरा के वारिसान का चला आ रहा है जो तत्कालीन खसरा गिरदावरी सम्वत् 2012 से 2020 की नकल से बखुबी साबित है। एवं पद संख्या तीन में सजरा खनदान से स्पष्ट से स्पष्ट रूप से दर्शाया है तथा अंकन किया है कि हिम्मता वगैरा तीन भाई थे जो धन्ना के पुत्र थे एवं वादग्रस्त भूमि पर हिम्मता व उसके भाईयों का वक्त सेटलमेन्ट से कब्जा काश्त था। जो आज दिन तक चला आ रहा है। तथा उक्त वादग्रस्त भूमि में तीनों भाईयों की अलग–अलग रिहायसी ढाणियों बनी हुई है। सेटलमेन्ट के समय दुलाराम पुत्र पन्नाराम के नाम का गलत पट्‌टा बन गया था जिसकी जानकारी वादीगण एवं उनके पूर्वजों को नही थी। और न ही दुलाराम पुत्र श्री पन्नाराम को उक्त भूमि की उसके खातेदारी होने की जानकारी थी इसलिए दुलाराम ने अपने जीवनकाल में कभी भी उक्त भूमि का कब्जा लेने की कार्यवाही नही की तथा दुलाराम के वारिसान कोई भी इस गांव नही रहते है और न ही दुलाराम के वारिसान का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त हक हिस्सा एवं अधिकार अधिपत्य है। प्रतिवादीगण द्वारा साजिसी तौर पर दिनांक 01.08.2012 को मौके पर आये तथा वादीगण को वादग्रस्त भूमि का कब्जा छोड़ने व वादग्रस्त भूमि उनके नाम की होना बताकर बेचान फरोक्त करने की धमकी दी तब वादीगण ने हल्का पटवारी से मिलकर वादग्रसत भूमि के राजस्व रेकर्ड की नकले ली तो वादीगण को ज्ञात हुआ कि वादग्रस्त भूमि वर्तमान जमाबन्द में दुलाराम पुत्र री पन्नाराम राईका के नाम खातेदारी दर्ज है तथा उक्त वादीगण का वर्तमान राजस्व रेकर्ड में नाम नही है जिस पर वादीगण ने उप तहसील कार्यालय तिवरी से वक्त सेटलमेन्ट की गिरदावरी की नकले प्राप्त की

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2021.12.16 12:50:44 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बालेसर

तो उनमें सम्वत् 2012 से 2020 वक वादीगण के पूर्वज हिम्मताराम वगैरा के नाम से कब्जा काश्त दर्ज था किन्तु जमाबन्दी में वादीगण के पूर्वजों का नाम दर्ज नही किया गया है जो राजस्व कर्मचारियों की भूल व लापरवाही है। वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का एडर्वस पजेशन वक्त सेटलमेन्ट से लेकर आज दिन तक चला आ रहा है जो गिरदावरी की नकलों से साबित है तथा मौके पर वादीगण के कब्जे काश्त व रिहायसी ढाणियों से भी साबित है। इसलिए वादीगण एडवर्स पजेशन के आधार पर वादग्रस्त भूमि अपने नाम से खातेदारी की घोषणा करवाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण ने मिली भगत कर के राजस्व रेकर्ड की जमाबन्दी में दुलाराम पुत्र री पन्नाराम के गलत इन्द्राज का नाजायज फायदा उठाने की नीयत से साजिसी तौर पर प्रतिवादी संख्या एक से प्रतिवादी संख्या दो ने अपने पक्ष में एक अवैध व अनुचित आम मुख्त्यार नामा नोटेरी जोधपरु से दिनांक 13.08.2012 को निष्पादित करवाया एवं उक्त मुख्त्यार नामा के आधार पर दिनांक 14.08.2012 को वादी ग्रस्त भूमि का बैचान नामा प्रतिवादी संख्या तीन के पक्ष में उप पंजीयक तिंवरी के कार्यालय में अवैधानिक रूप से एक कागजी बैचान नामा करवा दिया। जब कि वादग्रस्त भूमि दिनांक 13.08.2012 को प्रतिवादी संख्या एक खातेदार ही नही थे उक्त भूमि का बिना खातेदारी के प्रतिवादी संख्या दो को किसी प्रकार का मुख्त्यार नामा देने का अधिकार नही था और बिना अधिकार के प्रतिवादी संख्या तीन के पक्ष में प्रतिवादी संख्या दो को बेचान नामा निष्पादित करने का कोई हक व अधिकार नही था। इसलिए वादग्रस्त भूमि का दिनांक 14.08.2012 को प्रतिवादीगण द्वारा किया गया बेचान नामा वादीगण के हक, अधिकारों व कब्जे काश्त के खिलाफ शुन्य व बेअसर है तथा वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध बेचान नामा को अपने अधिकारों के खिलाफ शुन्य व बेअसर घोषित करवाने के अधिकारी है। तथा वादीगण प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थाई निषेज्ञाधा प्राप्त करने के अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Patel
Date: 2021.12.16 12:30:44 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बालेसी

वादग्रस्त भूमि का खसरा नम्बरा 1071/1 रकबा दस बिस्वा गैर मुमकिन ढाणी दुलाराम पुत्र श्री पन्नाराम के नाम से गलत दर्ज है। खसरा नम्बर 1071/1 रकबा 33 बिघा 07 बिस्वा जमबान्दी के वर्तमान खाता संख्या 378 में व ग्राम मानसागर के लठ्ठा ट्रेश क नाम से खातेदारी में दर्ज है। जिनकी खातेदारी की जमाबन्दी की नलक व लठ्ठा ट्रेश की नकल वाद के साथ में पेश है। लठ्ठा ट्रेश की नकल के अनुसार नक्शा ट्रेश में गैर मुमकिन ढाणी खसरा नम्बर 1072 मे 1072/!1 में अवश्य ही दर्ज है। खसरा नम्बर 1071 के अन्दर 1071/1 रकबा 10 बीस्वा की गैर मुमकिन कोई ढाणी नक्शा ट्रेश में कटी हुई नही है इससे भी साफ जाहिर है कि खसरा नम्बर 1071/1 की भूमि जो गलत रूप से वर्तमान जमाबन्दी के खाता संख्या 184 में दर्ज उसे बैचान फरोक्त करने का प्रतिवादीगण को कोई हक एवं अधिकार नही है। प्रतिवादीगण उक्त गलत व अवैधानिक बैचान फरोक्त के आधार पर वादीगण को बेदखल करने पर आमाद है तथा वादग्रस्त भूमि का राजस्व रेकर्ड अपने नाम से दर्ज करवाने पर आमाद है जब कि प्रतिवादीगण को इस प्रकार से अवैधानिक रूप से बिना किसी प्रकार के हक हिस्से व कब्जे काश्त के राजस्व रेकर्ड में तब्दीली करवाने व वादीगण को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये बेदखल करने का कोई अधिकार नही है। वादीगण का पिछले 60 वर्षों से लगातार बिना किसी रोक–टोक के एडवर्स पजेशन चला आ रहा है। जिसके आधार पर वादीगण वादग्रस्त भूमि अपने नाम से खातेददारी की घोषित करवा कर प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। वादग्रस्त भूमि में वक्त सेटलमेन्ट के पूर्व से वादीगण का काश्त होने तथा उक्त भूमि वादीगण की रिहायसी कदीमी ढाणियां बनी है एवं उक्त भूमि के सम्वत् 2012 से 2020 तक गिरदावरी की नकलों में वादीगण के पूर्वजों के नाम दर्ज होने से व पजेशन के आधार पर प्रथम दृष्टया सुदृढ मामला वादीगण के पक्ष में बनता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2021.12.16 12:50:44 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाप्डी

वादीग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वक्त सेलटमेन्ट कर्मचारियों की भूल व लापरवाही से गलत नाम दर्ज होने से प्रतिवादीगण वादीगण को वादग्रस्त भूमि से बेदखल कर कब्जा करेन पर आमाद है यदि प्रतिवादीगण ने वादीगण को वादग्रस्त भूमि से बेदखल कर दिया तो वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति रूपये पैसों में नही की जा सकेगी। सुविधा का सन्तुलन भी वादीगण के पक्ष में बनता है। इस आधार पर वादीगण ने वाद पत्र प्रस्तुत कर इस्तदुआ की मांग कर निवेदन किया की ग्राम मानसागर के खसरा नम्बर 1071 रकबा 10 बीघा 04 बिस्वा खसरा संख्या 1071/1 रकबा 10 बिस्वा भूमि को वादीगण के नाम से घोषित की जाकर प्रतिवादीगण के नाम हटाये जाने की डिक्री बहक वादीगण बर खिलाफ प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जावे। एवं प्रतिवादीगण द्वारा साजिसी तौर पर किये गये अवैधिनिक बैचान नामा को वादीगण के हक व अधिकारों के खिलाफ शुन्य व बेअसर घोषित किया जावे। व स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादीगण बर खिलाफ प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जावे कि वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादीगण किसी प्रकार दखल–अन्दाजी नही करे वादीगण को बेदखल नही करे। और न ही किसी अन्य से करावे। वाद खर्चा दिला कर अन्य दादरसी जो मुफीद वादीगण हो अता फरमाई जावे। इस प्रकार वाद पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान् न्यायालय हाजा को वाद डिक्री फरमाने का आदेश हेतु प्रस्तुत किया। जिसको दर्ज रजिस्ट्रर कर प्रतिवादीगणों के विरूद्ध सम्मन जारी किये गये। बाद सम्मन तामील प्रतिवादीगण की ओर से जरिये अधिवक्ता एवं प्रतिवादीगण वाद पत्र के विरूद्ध जबाब दावा प्रस्तुत कर वाद पत्र का खण्डन निम्नानुसार किया। वाद पत्र का पद संख्या एक में वर्णित तथ्य सही ह[illegible]ीकार है। तथा उक्त जमीन दुलाराम राईका की थी तथा [illegible] भी वक्त जागीर सेटलमेन्ट के समय से चला आ रहा है। उसकी मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारियों का कब्जा–काश्त आज दिन चला आ रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2021.12.16 12:50:44 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, [illegible]

तथा बैचान के बाद प्रतिवादी संख्या दो व तीन का कब्जा काश्त मौके पर है, वादीगण का किसी प्रकार का कोई कब्जा काश्त नही है। वाद पत्र के पद संख्या दो जिस प्रकार से लिखा गया है गलत होने से अस्वीकार किया जाता है, वक्त सेटलमेन्ट से उक्त जमीन दुलाराम वल्द पन्नाराम कौम राईका के नाम से सही दर्शायही गई है क्योकि इस भूमि पर दौलाराम राईका का ही कब्जा काश्त था। जिस कारण सेटलमेन्ट अधिकारियों ने दुलाराम का सही पट्टा दर्ज किया है, उसमें किसी प्रकार की भूल व लापरहवाही से दर्ज नही की गयी है। बल्कि मौके पर दुलाराम का कब्जा काश्त होने के कारण उसका नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया है। तथा इस भूमि पर हिम्मताराम वगैरा का कभी कोई कब्जा काश्त नही रहा तथा न ही आज दिन है। इस पद में सम्वत 2012 की गिरदावरी में हिम्मताराम वगैरा का दर्ज नही है, जबकि गिरदावरी 2014 से 2017 में दुला वल्द पन्ना कौम राईका लिखा हुआ है। इस प्रकार वादीगण का किसी भी प्रकार नाम अंकित नही है। वादीगण ने 2012 की गिरदावरी में नाम अंकित होना गलत अंकित किया इस पर कभी भी हिम्मताराम वगैरा का कब्जा काश्त नही रहा है। वाद पत्र पद संख्या तीन गलत होने से अस्वीकार किया जात है वंशावली गलत दर्शायी गयी है, धन्ना के दो पुत्र थे हिम्मता व जवारराम थे, पाबुदान पीराराम का पुत्र है। वह धन्नाराम का पुत्र नही है। जबकि बीरमाराम के तीन पुत्र है जबकि इसमें एक ही पुत्र बताया गया है। जबकि मदाराम व भागुराम का पुत्र नही बताया है और न ही पक्षकार बताया गया है। जबकि पाबुदान धन्ना के भाई लगता था। जबकि इसमें पुत्र अंकित किया गया है। [illegible] हिम्मताराम तीन भाई नही है। केवल दो भाई ही है इस भूमि पर हिम्मताराम [illegible] उसके भाईयों कोई कब्जा काश्त वक्त सेटलमेन्ट के समय से नही था। [illegible] न ही आज दिन है तथ इस भूमि पर वादीगण की कोई ढाणियां नही बनी [illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2021.12.16 12:50:44 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, [illegible]

यह तथ्य वादीगण ने गलत अंकित किये गये है। वादी हिम्मताराम की ढाणी खसरा नम्बर 885/1 में बनी हुई है। तथा हुक्मा, पाबु व बागा की ढाणी खसरा नम्बर 886/1 में बनाई हुई है जो विवादग्रस्त भूमि से लगभग दो किलोमीटर दुर है वर्तमान इन्ही खसरों में ढाणियों है। वादीगण उसी ढाणियों में आज दिन निवास करते आ रहे है। वादग्रस्त भूमि में कोई ढाणी वादीगण की नही है। और न ही खेत में ढाणी ही बनी हुई है। वादीगण के ढाणियों के राजस्व रेकर्ड की फोटो प्रतियां साथ पेश है। पद संख्या 04 गलत होने से अस्वीकार किया जाता है कि सेटलमेन्ट दुल्ला पुत्र पन्नाराम के नाम से पट्टा सही बना था उक्त भूमि दुलाराम की कब्जा काश्त की भूमि थी। जिस कारण से सेटलमेन्ट अधिकारियों ने दुलाराम के नाम से सही पट्टा बनाया था। शेष तथ्य गलत होने से पूर्ण रूप से अस्वीकार किये जाते है इस भूमि पर पहले दुलाराम का कब्जा था। उसकी मृत्यु के बाद उसके वारिसानों का कब्जा था अब इस भूमि प्रतिवादी संख्या दो व तीन खरिददार का कब्जा काश्त है। वादीगण का इसमें कभी भी कोई कब्जा काश्त नही था और न ही आज दिन है। पद संख्या 05 गलत होने से अस्वीकार है। जब इस भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त था ही नही तो छेड़ने की धमकी देने का प्रश्न पैदा नही होता। सम्वत् 2012 की गिरदावरी में वादीगण के पूर्वज हिम्मताराम का नाम दर्ज नही है। यह तथ्य गलत अंकित किये गये है। न ही इस भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त थ इसलिये एडर्वस पजेशन का प्रश्न पैदा नही होता । मौके पर कोई रहवासिया ढाणियां नही बनी हुई है। वादीगण अपने रहवासिय ढाणियां से 02 किलोमीटर दुर निवास करते है। विवादग्रस्त [illegible] किसी प्रकार की कोई ढाणी आदि नही बनी हुई है। और [illegible] भूमि पर कब्जा था। इसलिये एडवर्स प[illegible] घोषणा करवाने के अधिकारी नही है क्योकि इस भूमि पर वक्त सेटल[illegible]ट से दुलाराम राईका का कब्जा था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2021.12.16 12:50:44 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली

तथा उसकी मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारियों के कब्ज काश्त में रही है। अब इस भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 का कब्जा काश्त था जिसने यह भूमि प्रतिवादी संख्या 02 व 03 को बैचान कर दी अब प्रतिवादी संख्या 02 व 03 मौके काबिज है। पद संख्या 06 जिस पर प्रकार से अंकित किया गया है गलत होने से अस्वीकार किया जाता है। जिसका सही जबाब इस प्रकार दिनांक 17.07.2012 को रेंवती की तीन पुत्रीयां भंवरी देवी, घेवरी देवी व कमला देवी ने उप पंजीयन तिंवरी के कार्यालय में पेश होकर अपनी माता रेंवती के हक में हकतर्कनामा किया, तथा उसी हकतर्कनामा के आधार पर उत्तराधिकार का नामान्तरण भर दिया गया था। अतः पंजीकृत दस्तावेज के आधार पर रेंवती इस आराजी की एक मात्र खातेदार थी तथा उसे तमाम अधिकार इस भूमि के बाबत् प्राप्त थे। तथा प्रतिवादी संख्या एक द्वारा किया गया बैचान विधि संमत है। तथा उसके द्वारा दिया गया आम मुख्त्यारनामा वैध था। इसलिये प्रतिवादी संख्या एक को उक्त भूमि का हस्तान्तरण करने का पूर्ण रूप से हक व अधिकार था। उस पर हिम्मताराम वगैरा का कोई भी अधिकार आदि नही बनता, और न ही कब्जा काश्त रहा हैं और न ही आज दिन है। जब इनका कब्जा काश्त व नाम ही नही है। तो इस बेचाननामें को बेअसर घोषित करवाने के अधिकारी वादीगण नही है। और न ही स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने अधिकारी है। पद संख्या संख्या सात गलत होने से अस्वीकार किया जाता है खेत खसरा नम्बर 1071/1 रकबा 10 बिस्वा भूमि गैर मुमकिन ढाणी दुलाराम की थी जो सही दर्ज की गयी है । इसलिये इसका पट्टा दुलाराम के नाम सही बनाया गया। अन्य शेष त[illegible] है। इस पर वादीगण का कोई हक व अधि[illegible] संख्या एक का हक अधिकार था जिसने [illegible] दो व तीन को बैचान कर दिया जो विधि संवत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2021.12.16 12:50:44 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, [illegible]

पद संख्या आठ होने से अस्वीकार किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त रेंवती का था। रेंवती द्वारा उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या दो व तीन को बेचान कर दी मौके पर प्रतिवादी संख्या दो व तीन काबिज है। वादीगण का कोई हक व हिससा नही बनता है। और न ही इसका कब्जा काश्त था। वादीगण पिछले 60 साल से लिखना गलत है वादीगण का कभी भी मौके पर कब्जा काश्त नही रहा और न ही आज दिन है केवल प्रतिवादीगण के विरूद्ध किसी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती क्योकि प्रतिवादीगण रेकर्ड खातेदार के विरूद्ध किसी भी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा कानून्न जारी नही की जा सकती। पद संख्या नौ गलत होने से अस्वीकार किया जाता है कि इस भूमि पर वादीगण का कब्ज काश्त नही था और न ही आज दिन तक है। इस भूमि पर वक्त सेटलमेन्ट से दुलाराम राईका का कब्जा काश्त था और उसकी मृत्यु के बाद उसके वारिसान रेंवती का कब्जा काश्त था। तथा रेंवती ने आगे बेचान प्रतिवादी संख्या दो व तीन को कर दी। अब मौके पर प्रतिवादी संख्या दो व तीन का कब्जा काश्त है। इस भूमि पर जागीर के समय से सेटलमेन्ट से लेकर आज दिन तक कब्जा काश्त प्रतिवादी संख्या एक व उसके पूर्वजों का था। आज दिन भी चला आ रहा है। 2012 में गिरदावरी में नाम बार–बार अंकित की बात गलत लिखी जा रही है। जब वादीगण का मौके पर कब्जा हक व अधिकार नही है तो प्रथम दृष्टया मामला वादीगण के पक्ष में बनना कतई प्रश्न पैदा नही होता जबकि प्रतिवादी संख्या एक रेकर्ड खातेदार है इसलिये प्रथम दृष्टया सुद्दण्ढ मामला प्रतिवादीगण के पक्ष में बनता है। पद संख्या दस गलत होने से [illegible] किया जाता है कि राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी वक्त से[illegible] प्रकार की कर्मचारियों की भूल व लाप[illegible] ही गलत नाम दर्ज किया गया था जबकि वक्त सेटलमेन्ट दुंलाराम रा[illegible] का कब्जा काश्त होने के कारण उसके नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज की गयी थी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2021.12.16 12:50:44 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली

जव वादीगण का कब्ज ही नही है तो वदेखल करने का प्रश्न पैदा नही होता। वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त है। इसलिये अपूर्णीय क्षति व सुविधा का संतुलन प्रतिवादीगण के पक्ष में है वादीगण के पक्ष में किसी भी प्रकार का अपूर्णीय क्षति व सुविधा का संतुलन नही वनता है क्योंकि विवादग्रसत भूमि वक्त सेटलमेन्ट से आज दिन तक कब्जा दुलाराम व उसके उत्तराधिकारियों का था तथा उसके वैचान के वाद खरीददार प्रतिवादी संख्या दो व तीन का चला आ रहा है। वादीगण का कभी भी कब्जा काश्त हक अधिकार पूर्व में नही था और न ही आज दिन है। गलततयिों के आधार वाद पेश किया है जो कानून्न चलने योग्य नही है। तथा इस वाद पत्र के साथ तीन भूतपूर्व सरपंचों के शपथ पत्र दिये हैवह बिल्कुल ही गलत शपथ पत्र दिये है किसी गांव में किस आदमी के पास कितनी भूमि है। और उसके खसरे नम्बर क्या है उसकी जानकारी सरपंच को नही हो सकती भूतपूर्वक सरपंच चन्दनसिंह द्वारा प्रतिवादी संख्या तीन मोहनराम के काका भंवरूराम की जमीन हड़पने के लिये मौके पर गये व गोली से उसकी हत्या कर दी जिसका मुकदा चन्दनसिंह के विरूद्ध चला उसी रंजिश के कारण आज यह झूठा शपथ पत्र न्यायालय हाजा में पेश किया है। तथा सरपंच राजेन्द कंवर की शिकायत करने के कारण राजनैतिक द्वेषता के कारण यह शपथ पत्र दिया है तथा वर्तमान सरपंच कंचन देवी को प्रतिवादीण के परिवार द्वारा मत नही देने के कारण रंजिश वंश झूठे शपथ पत्र दिये है। पद संख्या 11 में वर्णित तथ्य गलत होनरे से अस्वीकार है, वादीगण को दिनांक 01.08.2012 को किसी भी प्रकार का वाद कारण पैदा नही हुआ, क्योकि वादीगण [illegible]स्त भूमि पर कब्जा ही नही है तो कब्जा छोड़ने की [illegible] देने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। पद संख्या 12 व 13 कानून्नी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2021.12.16 12:50:44 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, [illegible]

पद संख्या 14 के उप पद संख्या 1 से 5 में वर्णित तमाम इस्तदुआ गलत होने से खारिज किये जोन याग्य है क्योकि वादीगण किसी भी प्रकार की प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस्तदुआ प्राप्त करने के अधिकारी नही है। अतः जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण का वाद पत्र सव्यय खारिज किये जाने का आदेश फरमाया जावें। तथा प्रतिवादीगण को खर्चा वादीगण से दिलवाया जावे। अन्य अनुतोष जो प्रतिवादीगण के हक में हो फरमाया जावे।

प्रतिवादीगण की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत किये जाने पर वाद में निम्न वाद बिन्दु (तनकियात) कायम किये गये।

1. आया ग्राम मानसागर के खसरा नम्बर 1071 रकबा 10 बीघा 04 बिस्वा खसरा नम्बर 1071/1 रकबा 10 बिस्वा गैर मुमकिन ढाणी में वादीगण खातेदारी घोषणा करवाने का अधिकारी है।

जिम्मे वादीगण

2. आया वादीगण स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हकदार है।

जिम्मे वादीगण

3. तनकी संख्या तीन प्रतिवादीगण वक्त सेटलमेन्ट से रेकर्डेड खातेदार व कब्जा काबिज होने से वादीगण घोषणा कराने अधिकारी नही है।

जिम्मे प्रतिवादीगण

4. तनकी संख्या चार आया बेचान नामा रजिस्ट्रर्ड होने के कारण इस न्यायालय को यह वाद सुनने व बेचान नामा निरस्त करने का अधिकार नही है।

जिम्मे प्रतिवादीगण

5. तनकी संख्या पांच दादरसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2021.12.16 12:30:44 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बानसी

वादीगण की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत हुए जिसमें पी डब्ल्यू एक पांचाराम पुत्र श्रीराम, पी. डब्ल्यू दो बागाराम पुत्र हुक्माराम के शपथ पेश हुए। प्रतिवादीगण की ओर से भी साक्ष्य शपथ पत्र पेश हुए जिसमें डी डब्ल्यू एक रेंवती मिसाराम, डी डब्ल्यू दो राजुराम पुत्र कहराराम, डी डब्ल्यू तीन मोहनराम पुत्र हरसुखराम, डी डब्ल्यू चार जगमालराम पुत्र पोकरराम, डी डब्ल्यू पांच लादूराम पुत्र सताराम प्रस्तुत किये गये।

हमने वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र, वाद पत्र की पुष्टिकरण हेतु प्रस्तुत किये गये दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया एवं वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये, साक्ष्य शपथ पत्रों एवं वादीगण एवं प्रतिवादीगण के अधिवक्ताओं द्वारा अपनी बहस के दौरान बताये गये, दृष्टान्तों पर मनन किया गया। सम्पूर्ण रिकॉर्ड अवलोकन एवं मनन के बाद प्रकरण में बनायी गयी तनकीयां का तनकीवार विवेचन इस प्रकार है।

1. *तनकी संख्या एक आया ग्राम मानसागर के खसरा नम्बर 1071 रकबा 10 बीघा 04 बिस्वा खसरा नम्बर 1071/1 रकबा 10 बिस्वा गैर मुमकिन ढाणी में वादीगण खातेदारी घोषणा करवाने का अधिकारी है।*

यह तनकी वादीगण जिम्मे थी, वादीगण ने अपने जिम्मे इस तनलकी को सिद्ध कराने हेतु वाद ग्रस्त खसरा नम्बरान् का नक्शा ट्रेश, जमाबनदी सम्वत् 2059 से 2062 खसरा गिरदावरी 2020–22, बैचान नामें की फोटो प्रति, आम मुख्त्यार नामें की फोटो प्रति एवं स्वयं का साक्ष्य शपथ पत्र एवं बागाराम का साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। एवं प्रतिवादीगण की ओर से खसरा गिरदावरी 2028 से 29 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की एवं साक्ष्य शपथ पत्र प्रतिवादी स्वयं के अलावा प्रतिवादी संख्या दो राजुराम, प्रतिवादी संख्या तीन मोहनराम के अलावा दो अन्य स्वतन्त्र गवाहान् के साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2021.12.16 12:50:44 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बानसूर

उक्त तनकी को साबित करने का ताव वादीगण को लेकिन वादीगण उक्त तनकी साबित करने असफल रहा दस्तावेज एवं गवाह के साक्ष्य शपथ पत्र के आधार पर। अतः यह तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष में एवं वादी के विरूद्ध तय की जाती है।

2. *तनकी संख्या दो आया वादीगण स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हकदार है।*

इस तनकी को सिद्ध करने का जिम्मा वादीगण पर ही था। चुकि तनकी संख्या 1 प्रतिवादीगण के पक्ष में तय हो चुकी है तथा मौजा मानसागर के खसरा नम्बर 1071 रकबा 10 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 1071/1 रकबा 10 बिस्वा भूमि पर स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य एवं साक्ष्य शपथ पत्र के आधार पर वादीगण उक्त तनकी को साबित करने में असफल रहे हैं। अतः यह तनकी भी प्रतिवादीगण के पक्ष में एवं वादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

3. *तनकी संख्या तीन प्रतिवादीगण वक्त सेटलमेन्ट से रेकर्डेड खातेदार व कब्जा काबिज होने से वादीगण घोषणा कराने अधिकारी नही है।*

इस तनकी को सीद्ध करने का जिम्मा प्रतिवादीगण पर रखा गया था। चुकिं तनकी नम्बर एक व तनकी नम्बर दो प्रतिवादीगण के पक्ष में तय की जा चुकी है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजस्व रेकर्ड के आधार पर यह पुर्णतया साबित है कि सेटलमेन्ट से लेकर आज दिन तक मात्र एक गिरदावरी के छोटे से इन्द्राज को छोड़कर सम्पूर्ण दस्तावेज प्रतिवादीगण के हक में साबित है। अतः वादीगण मात्र एक खसरा गिरदावरी के आधार पर खातेदार घोषित होकर प्रतिवादीगणों के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु क्लेम कर रहे है। जो कि कानूनन गलत है। अतः यह तनकी वादीगण के विरूद्ध एवं प्रतिवादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2021.12.16 12:50:44 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाड़ी

4. *तनकी संख्या चार आया वेचान नामा रजिस्टर्ड होने के कारण इस न्यायालय को यह वाद सुनने व वेचान नामा निरस्त करने का अधिकार नही है।*

इस तनकी को सिद्ध करने का जिम्मा प्रतिवादीगण पर रखा गया था, प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य शपथ पत्र के आधार पर एवं रजिस्ट्रर वैचान नामा एवं आम मुख्त्यार नामा कानून्न सही होने से जव तक रजिस्ट्रर दस्तावेज कानून्न प्रभाव में है। तथा उनकों कानूनी रूप से निरस्त या अमान्य करार नही दिये जाते तव तक उन पर किसी प्रकार का संदेह करना गैर कानूनी है। इस प्रकार प्रतिवादीगण सदभाविक क्रेता की हैसियत से कृषि भूमि खरीद कर कानून्न मालिक होने से उनके हक–हकूकों को प्रभावित नही किया जा सकता और न ही वादीगण ने उक्त दस्तावेजों को नही मानने का कोई ठोस सबूत प्रस्तुत नही किये है। जिससे प्रतिवादीगण द्वारा क्रय की गई भूमि के प्रतिवादीगण कानून्न मालिक है। अतः यह तनकी वादीगण के विरूद्ध एवं प्रतिवादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

5. *तनकी संख्या पांच दादरसी। आया वादीगण का वाद वादी प्रारम्भ उत्पन्न नही हुआ।*

तनकी को सिद्ध करने का जिम्मा प्रतिवादीगण का था। पत्रांवली में उपलब्ध रेकर्ड के अनुसार वादीगण वाद ग्रस्त आराजी के कानून्न खातेदार–काश्तकार कभी नही रहे। वक्त बन्दोबस्त से लेकर आज दिन तक क्रमबन्ध तरीके से वादी गण के हक–हकूक के सरकारी दस्तावेज जमबान्दी गिरदावरी एवं नक्शा नियमानुसार मुर्तीब है। जिन पर संन्देह नही किया जा सकता। अतः वाद कारण वादीगण के मालिकाना हक की कृषि भूमि पर नही हुआ है। वादीगण ने ऐसी कृषि भूमि पर वादी [illegible] कायम कर साबित करना चाहते है जिस भूमि के वे खातेदार हे ही नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2021.12.16 12:50:44 IST
Reason: SelfAttested3

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, [illegible]

इसलिये उनके खातेदारी अधिकार प्रभावित नही होने से वाद बिन्दु साबित नही होता अतः वाद कारण उत्पन्न होना साबित नही होता। अतः यह तनकी भी वादीगण के खिलाफ एवं प्रतिवादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

—: आदेश :—

मौजा मानसागर तहसील औसिया हाल तहसील बावड़ी के खसरा नम्बर 1071 रकबा 10 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 1071/1 रकबा 10 बिस्वा भूमि पर वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र में वादीगण न तो कानूनन खातेदार है न ही वादीगण उक्त वादग्रस्त आराजी के खातेदार रहे। वादीगण ने प्रतिवादीगणों का नाम राजस्व कर्मचारियों की त्रुटिवंश इन्द्राज होना बताकर खातेदारी प्राप्त करना चाहते है, जबकि किसी भी अजनबी व्यक्ति को कानून्न हक एवं अधिकार रखने वाले खातेदार की खातेदारी अधिकारो को समाप्त नही किये जा सकते। रेकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध बिना किसी ठोस एवं विधि संमत दस्तावेजों के न तो खातेदारी प्राप्त की जा सकती है एवं बिना खातेदारी के स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का कोई प्रावधान नही है, इस प्रकार वादीगण न तो दस्तावेजी न ही मौखिक साक्ष्य से अपना वाद पत्र एवं वाद बिन्दु साबित करने में सफल नही रहा है। वाद पत्र में कायम किये सभी वाद बिन्दु वादीगण के विरूद्ध साबित होने से वादी का वाद काबिले खारिज किये जाने योग्य होने से वादी का वाद पत्र खारिज किया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2021.12.16 12:20:44 IST
Reason: SelfAttested

(सुमित्रा पारीक)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
बावड़ी जिला जोधपुर

—: निर्णय :—

निर्णय आज दिनांक 30/3/24 को मेरे निर्देशन में कम्प्युटर टाईप में टंकित करवाया जाकर सरे इजलाश सुनाया गया।

(श्रीमती सुमित्रा पारीक)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
बावड़ी जिला जोधपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2021.12.16 12:50:44 IST
Reason: SelfAttested